



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

PHONE NO.0581-2527263,2527286

2527282,2527273

दिनांक 15.12.2016

पत्रांक:-रू0वि0/रासेयो/2016/12062

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/कार्यक्रम अधिकारी,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (रा0से0यो0)
महा0ज्यो0फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन हेतु कार्यक्रम अधिकारियों को नियुक्ति के प्रथम वर्ष में सात दिवसीय प्रशिक्षण ई0टी0आई0 आगरा या साक्षरता निकेतन लखनऊ द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। प्रशिक्षण की अनिवार्यता एवं कार्यक्रम अधिकारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ई0टी0आई0 आगरा के समन्वयक की सहमति के आधार पर सात दिवसीय प्रशिक्षण महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट सेल में दिनांक 17 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक आयोजित किया जायेगा।

अप्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी जो प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम अधिकारी अपने साथ प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा निर्गत अनुमति पत्र व एक फोटो लेकर विश्वविद्यालय के प्लेसमेन्ट सेल हॉल में प्रातः 9:30 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0एम0वी0सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

PHONE NO.0581-2527263,2527286
2527282,2527273

पत्रांक- २०६०/रासेयो/२०१६/१२०६३

दिनांक 15.12.2016

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/कार्यक्रम अधिकारी,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (रा०से०यो०)
महा०ज्यो०फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना सत्र 2016-17 हेतु इकाईयों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन हेतु सत्र 2016-17 हेतु इकाईयों का पंजीकरण दिनांक 19.12.16 तक निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण सूची, निवेश पत्र शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क, आदि सहित विश्वविद्यालय के रा०से०यो० प्रकोष्ठ में अनिवार्य रूप से तत्काल उपलब्ध करा दें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय,

(डा०एम०वी०सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना